भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1246

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

जातिगत भेदभाव और आत्महत्याएं

1246. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार आईआईएम, एम्स, एनआईटी, आईआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को नहीं रोक पा रही है, जिससे इन संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा अधिक आत्महत्याएं की जा रही हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कोई मजबूत दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की आत्महत्या और शिक्षण संकायों द्वारा जानबूझकर छात्रों को फेल किए जाने की बात पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): दो अधिनियम लागू हैं, अर्थात् सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, जो अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन के लिए दंड का प्रावधान करता है, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए है। इन अधिनियमों के प्रावधान केन्द्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों सहित सम्पूर्ण भारत पर लागू हैं।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है और राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों को इन अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रचार-प्रचार-प्रसार सहित स्वीकार्य केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुविधा के लिए अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) भी चल रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) स्थापित किए गए हैं जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा तथा संरक्षण देते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरुद्ध भेदभाव को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एससी/एसटी छात्र प्रकोष्ठों, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत निवारण समिति, उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में संपर्क अधिकारी आदि की स्थापना शामिल है तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते हैं कि संकाय और अधिकारी भेदभावपूर्ण कृत्यों से दूर रहें, वेबसाइटों या शिकायत रजिस्टरों के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए तंत्र स्थापित करें और गलती करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें और एससी/एसटी छात्रों सहित सभी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विनियम जारी करें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए भेदभाव-विरोधी संकाय सलाहकारों का प्रावधान भी है, जो उनकी समस्याओं पर गौर करते हैं और तदनुसार सलाह देते हैं; व्यक्तिगत, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी परामर्शदाताओं की नियुक्ति, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों का प्रावधान, परामर्श केन्द्रों की स्थापना, चिंता हेल्पलाइन का प्रावधान, तथा जाति, पंथ, धर्म और लिंग आदि के आधार पर रैगिंग, भेदभाव की किसी भी शिकायत के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की स्थापना भी इसमें शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी अपने अधीन संचालित संस्थानों में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े मानदंड बनाए हैं।

****